

प्रेस को सूचना नोट [प्रेस विज्ञप्ति संख्या 57/2022]

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

"दूरसंचार सेवाओं के शुल्क और संबंधित मुद्दों" के संदर्भ में उपभोक्ता सर्वेक्षण।


नई दिल्ली, 29 अगस्त 2022: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), नई दिल्ली, विनियामक उद्देश्यों के लिए सितंबर, 2022 के महीने में ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड के माध्यम से "दूरसंचार सेवाओं के शुल्क और संबंधित मुद्दों" के संदर्भ में उपभोक्ता सर्वेक्षण कर रहा है।

2. भादूविप्रा द्वारा सर्वेक्षण एजेंसी नामतः मैसर्स एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एएमएस), तीसरी मंजिल, ब्लॉक ए-153, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को चार लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली और गुजरात) में भादूविप्रा द्वारा समय - समय पर जारी किए गए प्रशुल्क आदेशों, विनियमों और निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रशुल्क पर उपभोक्ता सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया है।

3. उपभोक्ता के दृष्टिकोण से सर्वेक्षण का उद्देश्य तीन गुना है। पहला, प्रशुल्क प्रस्तावों पर उपभोक्ता के विचारों को समझना, दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विनियामक प्रावधानों की जागरूकता और प्रभावकारिता का आकलन करना और तीसरा, प्रशुल्क प्रस्तावों के प्रकाशन या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दिए गए विज्ञापनों में पारदर्शिता ढांचे की प्रभावकारिता को समझना। सर्वेक्षण के प्रश्न मुद्दों के चार गुटों के आसपास केंद्रित हैं, अर्थात् क्या प्रशुल्क प्रस्तावों का पता लगाना आसान है, समझने में आसान है, क्या प्रशुल्क पर प्रस्ताव, उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करते हैं और मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण उपायों के बारे में जागरूकता को पूरा करते हैं।

4. सर्वेक्षण वायरलाइन/वायरलेस टेलीफोनी के दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले एक्सेस सेवा प्रदाताओं और एकल इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वायरलाइन/वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा को कवर करने के लिए है। सर्वेक्षण पद्धति में सन्मुख और टेलीफोनिक बातचीत दोनों शामिल होंगे।

5. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री कौशल किशोर, सलाहकार (एफ एंड ईए) -1, भादूविप्रा से ईमेल आईडी: advfea1@traigov.in या टेलीफोन नंबर +91 11 23230752 पर संपर्क किया जा सकता है।



(वि. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा